राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 444

2 दिसम्बर, 2015 को उत्तर के लिए

इस्पात के आयात पर सुरक्षोपाय शुल्क लगाया जाना

444. **डा. प्रदीप कुमार बालमुचू:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में इस्पात के सभी आयातों पर सुरक्षोपाय शुल्क लगाकर विदेशों से इस्पात के आयात को बंद करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) घरेलू इस्पात उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस्पात व्यापारियों को अन्य क्या-क्या प्रोत्साहन और रियायतें दी जा रही हैं?

उत्तर

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) :विदेशों से इस्पात का आयात रोकने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यदि उद्योग को सस्ते आयातों/ आयातों में अचानक वृद्धि से नुकसान होता है, तो घरेलू उद्योग के लिए अस्थाई राहत के रूप में सुरक्षोपाय शुल्क की अनुमति विश्व व्यापार संगठन के कार्य ढांचे के अन्तर्गत प्रदान की जाती है। यह किसी देश विशेष से आयातों के विरुद्ध अथवा व्यापार की सामान्य पद्धति के तहत कोई व्यवस्था नहीं है। यह नुकसान से पीडित घरेलू व्यवसायियों की याचिका की मेरिट के आधार पर लगाया जाता है।

(ख) : सरकार इस्पात व्यापारियों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन अथवा रियायतें नहीं दे रही हैं। तथापि, घरेलू इस्पात उद्योग की सुरक्षा के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल गुणवत्ता युक्त इस्पात का आयात हो, सरकार ने इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश दिनांक 12.03.12 को अधिसूचित किया है जिसे अन्तिम बार दिनांक 4.12.2014 को संशोधित किया गया है।

(ii) सीमा शुल्क की उच्चतम दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है।

(iii) इनगॉट्स और बिलेट्स, अलॉय स्टील (फ्लैट एवं लांग) स्टेनलैस स्टील (लांग) और नान-अलॉय लांग उत्पाद पर आयात शुल्क 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत किया गया तथा नान अलॉय और अन्य अलॉय फ्लैट उत्पादों पर यह शुल्क 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया है । इसे पुन: अगस्त, 2015 में संशोधित करके फ्लैट स्टील पर 10 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत, लांग स्टील पर 7.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत और अर्द्ध फिनिश्ड स्टील पर 7.5 से 10 प्रतिशत किया गया है।

(iv) नवम्बर, 2014 में निर्देश दिया गया है कि रिबार्स के आयात केवल इस्पात उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण आदेश' 2012 के अनुसार ही हों, ताकि बोरोन युक्त रिबार्स के सस्ते आयातों को रोका जा सके।

(v) जून, 2015 में स्टेनलैस स्टील के कतिपय किस्मों के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों के चीन ($ 309 प्रति टन), कोरिया ($ 180 प्रति टन) और मलेशिया ($ 316 प्रति टन) से आयातों पर 5 वर्षों के लिए एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगाई है।

(vi) सितम्बर, 2015 में 200 दिनों की अवधि के लिए 600 एमएम या इससे अधिक की चौड़ाई वाले क्वायलों में नान अलॉय और अन्य अलॉय स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों पर 20 प्रतिशत का अनन्तिम सुरक्षोपाय शुल्क लगाया गया है।

***